राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष 2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफ्फू) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने बाबत नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 24.02.2025 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में अग्रांकित अधिकारियों (अथवा प्रतिनिधि) द्वारा भाग लिया गया :–

1	श्री योगेश शर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य
2	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
3	श्री दिनेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक क–2 विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य
4	निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सचिव
5	परियोजना निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय	सदस्य
6	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं पारिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय	सदस्य
9	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय)	सदस्य
10	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
11	श्री अजय फाटक, औषधि नियंत्रक प्रथम	विशेष आमंत्रित सदस्य
12	रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल, जयपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य

क्र. सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	चर्चा के बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
1	1167	Susheel Godara	PH162238	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7899/2023 सुशील गोदारा बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसे रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार से कवर करते हुए पारित किया है, के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7899/2023 सुशील गोदारा बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 की पालना में याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 58 दिवस को सम्मिलित करते हुए कुल 1112 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को 30 बोनस अंक प्रदान करते हुए अंतरिम वरियता सूची दिनांक 05.07.2024 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अनुसार अभ्यर्थी को नियमानुसार दिए जाने वाले बोनस अंकों का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार 58 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुशील गोदारा को तद्नुसार कुल 20 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार की तर्ज पर निर्णित किया गया है, जिससे संबंधित प्रकरणों का निस्तारण नीति निर्धारण समिति के स्तर से किया जाना है। अतः प्रकरण तद्नुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7899/2023 सुशील गोदारा बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 की पालना में याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 56 दिवस को सम्मिलित करते हुए कुल 1112 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को 30 बोनस अंक प्रदान करते हुए अंतरिम वरियता सूची दिनांक 05.07.2024 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अनुसार अभ्यर्थी को नियमानुसार दिए जाने वाले बोनस अंकों का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार 58 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुशील गोदारा का प्रकरण तद्नुसार देय बोनस अंकों का निर्धारण मान्य कर निस्तारित किया जाता है।

2	1168	Daula Ram Patel	PH205554	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8909/2023 दौला राम पटेल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसे रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार से कवर करते हुए पारित किया हैं के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8909/2023 दौला राम पटेल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2023 की पालना में याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2023 को जारी किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर किया गया कार्य विज्ञापित पद फ़ार्मासिस्ट के कार्य के समान नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक 38.600 प्रतिशत उनके जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 63.888 प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता को फार्मासिस्ट सीधी भर्ती–2023 हेतु जारी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी. बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है।	माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8909/2023 दौला राम पटेल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2023 की पालना में याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का किया गया कार्य विज्ञापित पद फार्मासिस्ट के कार्य के समान नहीं होने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है, जिसके कारण याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक 38.600 प्रतिशत उनके जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 63.888 प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता को फार्मासिस्टसीधी भर्ती–2023 हेतु जारी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री दौला राम पटेल का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

3	1169	Vikas Yadav	PH164189	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8840/2023 विकास यादव बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसे रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में से कवर करते हुए पारित किया हैं के क्रम में शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के अंक जोड़े जाने के संबंध में निवेदन किया गया है।	विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर के क्रमांक 4650 दिनांक 05.05.2023 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। उक्त विज्ञप्ति कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार जारी की गई है। उपरोक्त प्रावधान में उल्लेखित शेड्यूल में केवल डिप्लोमा को ही न्यूनतम योग्यता रखा गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का उल्लेख नहीं है। अतः नियमानुसार केवल व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों को ही मेरिट हेतु आधार माना गया है। ऐसे ही समान प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 8433/2023 मक्खन लाल बढ़ाला व अन्य बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2023 को विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है।	विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर के क्रमांक 4650 दिनांक 05.05.2023 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। उक्त विज्ञप्ति कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार जारी की गई है। उपरोक्त प्रावधान में उल्लेखित शेड्यूल में केवल डिप्लोमा को ही न्यूनतम योग्यता रखा गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का उल्लेख नहीं है। अतः नियमानुसार केवल व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांको को मेरिट हेतु आधार माना गया है। तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री विकास यादव का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

4	1170	Abdul Yakub Hasmi	PH198169	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13332/2023 अब्दुल याकुब हाशमी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसे रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार से कवर्ड करते हुए पारित किया हैं के क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र में किये गये कार्य के आधार पर अनुभव का लाभ चाहा गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, जो केन्द्र सरकार की एक योजना है एवं एस.आर. लैब्स जो एक निजी संस्थान है, में किये गये कार्य के आधार पर अनुभव का लाभ चाहा गया है। विज्ञप्ति की शर्तानुसार केवल राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संस्थानों में किये गये विज्ञापित पद के समान कार्य का ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। भर्ती नियम–1965 के नियम–19 में उन योजनाओं का नाम अंकित है जिनमें कार्य के अनुभव का बोनस देय हो सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार की योजना एवं एस.आर.लैब्स के अधीन किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंक दिये जाने के संबंध में निवेदन किया है, जिस हेतु याचिकाकर्ता द्वारा निजी क्षेत्र के दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13131/2018 रतन सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 05.08.2019 को निर्णय पारित कर स्पष्ट किया है कि बोनस एक लाभ है, यह कोई अधिकार नहीं है एवं राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की योजनाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने हेतु स्वतंत्र माना है। अतः याचिकाकर्ता का अनुभव केन्द्र सरकार की योजना में एवं निजी क्षेत्र का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, जो केन्द्र सरकार की एक योजना है एवं एस.आर. लैब्स जो एक निजी संस्थान है, में किये गये कार्य के आधार पर अनुभव का लाभ चाहा गया है। विज्ञप्ति की शर्तानुसार केवल राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संस्थानों में किये गये विज्ञापित पद के समान कार्य का ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। भर्ती नियम–1965 के नियम–19 में उन योजनाओं का नाम अंकित है जिनमें कार्य के अनुभव का बोनस देय हो सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार की योजना एवं एस.आर. लैब्स के अधीन किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंक दिये जाने के संबंध में निवेदन किया है, जिस हेतु याचिकाकर्ता द्वारा निजी क्षेत्र के दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये है। बोनस एक नियोक्ता द्वारा अपने कार्मिक का दिया जाने वाला लाभ है, यह कोई अधिकार नहीं है। अतः याचिकाकर्ता का अनुभव केन्द्र सरकार की योजना में एवं निजी क्षेत्र का होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता श्री अब्दुल याकूब हाश्मी का प्रकरण तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

5	1171	Kundan Mal Chauhan	Not Applied	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14681/2023 कुन्दन मल चौहान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय जिसे माननीय न्यायालय ने राजेन्द्र कुमार बेनिवाल से कवर करते हुए पारित किया है, की प्रति संलग्न कर भर्ती 2022 के आवेदन पत्र को भर्ती 2023 हेतु मान्य किये जाने बाबत निवेदन किया है।	संस्थान द्वारा वर्ष 2022 में फार्मासिस्ट पद की विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे किन्तु वित्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में की गई बढौतरी एवं अनुभाव आधारित बोनस अंकों में किये गये बदलाव के फलस्वरूप दिये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति निरस्त की जाकर वर्ष 2023 में तद्नुसार नवीन विज्ञप्ति जारी की गई। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2022 में जमा कराई गई फीस को उक्त भर्ती में समायोजित कर लिया जावेगा, अभ्यर्थियों को पुनः फीस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा सूचना क्रमांक 5340 दिनांक 31.05.2023 भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ''वर्ष 2022 में भर्तियों हेतु जारी समस्त भर्तियों को निरस्त कर नवीन विज्ञप्तियां भर्ती 2023 हेतु जारी की जा चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पूर्व में भरे गये फॉर्म के आधार पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे''। उक्त के पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन ही नहीं किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि भुगतान संबंधी तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन करने में असमर्थ रहा, मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के समान अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी समान प्रक्रिया द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत पुनः आवेदन किया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों को भुगतान संबंधी समस्या में पेण्डिंग दर्शाया जा रहा था, उन्हें भी विभाग द्वारा तत्समय अवसर प्रदान कर पेण्डिंग आवेदन को सफल कराया जाकर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जा चुका है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को भी दिनांक 4.06.2023 से बढ़ाकर 11.06.2023 किया गया था, जिसके पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया, जो याचिकाकर्ता की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है,	विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर के क्रमांक 4650 दिनांक 05.05.2023 द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2022 में जमा कराई गई फीस को उक्त भर्ती में समायोजित कर लिया जावेगा, अभ्यर्थियों को पुनः फीस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा सूचना क्रमांक 5340 दिनांक 31.05.2023 भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ''वर्ष 2022 में भर्तियों हेतु जारी समस्त भर्तियों को निरस्त कर नवीन विज्ञप्तियां भर्ती 2023 हेतु जारी की जा चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पूर्व में भरे गये फॉर्म के आधार पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे''। उक्त के पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन ही नहीं किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि भुगतान संबंधी तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन करने में असमर्थ रहे, मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के समान अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी समान प्रक्रिया द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत पुनः आवेदन किया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों को भुगतान संबंधी समस्या में पेण्डिंग दर्शाया जा रहा था, उन्हें भी विभाग द्वारा तत्समय अवसर प्रदान कर पेण्डिंग आवेदन को सफल कराया जाकर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जा चुका है। फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी दिनांक 11.06.2023 तक बढ़ाई गई थी, जिसके पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया, जो याचिकाकर्ता की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है, जिस हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं है। इस भर्ती हेतु आवेदन करने में असफल रहे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर एसे आवेदकों की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा चुका है। अतः उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी श्री कुन्दनमल चौहान का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

					जिस हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2018 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर ऐसे ही समान प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11255/2018 मनोहारी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को आदेश पारित कर अभ्यर्थिया की याचिका को खारिज कर दिया है।	

6	1172	Om Prakash Meena	Not Apply	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14690/2023 ओमप्रकाश मीणा बनाम सरकार व अन्य में भर्ती 2022 के आवेदन पत्र को भर्ती 2023 हेतु मान्य किये जाने बाबत निवेदन किया है।	संस्थान द्वारा वर्ष 2022 में फार्मासिस्ट पद की विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे किन्तु वित्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में की गई बढौतरी एवं अनुभाव आधारित बोनस अंकों में किये गये बदलाव के फलस्वरूप दिये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति निरस्त की जाकर वर्ष 2023 में तद्नुसार नवीन विज्ञप्ति जारी की गई। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2022 में जमा कराई गई फीस को उक्त भर्ती में समायोजित कर लिया जावेगा, अभ्यर्थियों को पुनः फीस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा सूचना क्रमांक 5340 दिनांक 31.05.2023 भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ''वर्ष 2022 में भर्तियों हेतु जारी समस्त भर्तियों को निरस्त कर नवीन विज्ञप्तियां भर्ती 2023 हेतु जारी की जा चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पूर्व में भरे गये फॉर्म के आधार पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे''। उक्त के पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन ही नहीं किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि भुगतान संबंधी तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन करने में असमर्थ रहा, मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के समान अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी समान प्रक्रिया द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत पुनः आवेदन किया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों को भुगतान संबंधी समस्या में पेण्डिंग दर्शाया जा रहा था, उन्हें भी विभाग द्वारा तत्समय अवसर प्रदान कर पेण्डिंग आवेदन को सफल कराया जाकर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जा चुका है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को भी दिनांक 4.06.2023 से बढ़ाकर 11.06.2023 किया गया था, जिसके पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया, जो याचिकाकर्ता की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है,	विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), जयपुर के क्रमांक 4650 दिनांक 05.05.2023 द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2022 में जमा कराई गई फीस को उक्त भर्ती में समायोजित कर लिया जावेगा, अभ्यर्थियों को निरस्त विज्ञप्ति में अंकित वर्ग में किए जाने वाले परिवर्तन स्वरूप राशि में अन्तर आने पर इस राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क का पुनः भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा सूचना क्रमांक 5340 दिनांक 31.05.2023 भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ''वर्ष 2022 में भर्तियों हेतु जारी समस्त भर्तियों को निरस्त कर नवीन विज्ञप्तियां भर्ती 2023 हेतु जारी की जा चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पूर्व में भरे गये फॉर्म के आधार पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे' उक्त के पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन ही नहीं किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि भुगतान संबंधी तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन करने में असमर्थ रहे, मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के समान अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी समान प्रक्रिया द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत पुनः आवेदन किया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों को भुगतान संबंधी समस्या में पेण्डिंग दर्शाया जा रहा था, उन्हें भी विभाग द्वारा अवसर प्रदान कर पेण्डिंग को सफल कराया जा चुका है। फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी दिनांक 11.06.2023 तक बढ़ाई गई थी, जिसके पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती 2023 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया, जो याचिकाकर्ता की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है, जिस हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं है। इस भर्ती हेतु आवेदन करने में असफल रहे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर एसे आवेदकों की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा चुका है।

					जिस हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2018 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर ऐसे ही समान प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11255/2018 मनोहारी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को आदेश पारित कर अभ्यर्थिया की याचिका को खारिज कर दिया है।	अतः उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी श्री ओमप्रकाश मीणा का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

7	1173	Vijay Rathore	PH206290	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16411/2023 विजय राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में उपभोक्ता जागरण समिति, झालरापाटन द्वारा दिनांक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव को कोविड स्वास्थ्य सहायक के कार्य के समान मानते हुए बोनस अंक चाहे गये हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड डेटा के आधार पर याचिकाकर्ता के प्राप्तांक के 70 प्रतिशत 52.43 अंक बनते हैं, जो उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण उन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के आवेदन पत्र में कुल 221 दिवस के अनुभव का वर्णन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2023 को एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा दिनांक 08.06.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक कुल 221 दिवस का जारी किया गया है। जो 01 वर्ष से कम एवं कोविड अवधि का नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ उपभोक्ता जागरण समिति झालावाड जो कि एक निजी संस्था है, द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 संलग्न किया है, जो कि निर्धारित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिए जाने हेतु स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में ऐसे ही समान प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2018 को एवं डीबी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड डेटा के आधार पर याचिकाकर्ता के प्राप्तांक के 70 प्रतिशत 52.43 अंक बनते हैं, जो उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण उन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के आवेदन पत्र में कुल 221 दिवस के अनुभव का वर्णन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2023 को एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा दिनांक 08.06.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक कुल 221 दिवस का जारी किया गया है। जो 01 वर्ष से कम एवं कोविड अवधि का नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ उपभोक्ता जागरण समिति झालावाड जो कि एक निजी संस्था है, द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 संलग्न किया है, जो कि निर्धारित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिए जाने हेतु स्वीकार्य नहीं है। तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री विजय राठौड़ का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

8	1174	Rahul Verma	PH152510	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16186/2023 राहुल वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में आरजू–ए–खल्फ वेलफेयर ट्रस्ट, झालावाड़ द्वारा दिनांक 20.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक चाहे गये हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ आरजू–ए–खल्फ वेलफेयर ट्रस्ट, झालावाड़ द्वारा दिनांक 20.05.2023 को दिनांक 07.04.2021 से दिनांक 04.08.2021 तक का कुल 3 माह का फार्मासिस्ट सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि एक निजी संस्थान है। अतः याचिकाकर्ता का अनुभव निजी संस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को उक्त अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। निजी संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ दिये जाने से संबंधित प्रकरणों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3196/2013 महिपाल सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 28.02.2014 को तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 08.01.2016 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ आरजू–ए–खल्फ वेलफेयर ट्रस्ट, झालावाड़ जो कि एक निजी संस्थान है, द्वारा दिनांक 20.05.2023 को दिनांक 07.04.2021 से 04.08.2021 तक का कुल 3 माह का फार्मासिस्ट सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसका बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता का अनुभव निजी संस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को उक्त अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। निजी संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ दिये जाने से संबंधित प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता श्री राहुल वर्मा का प्रकरण तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

9	1175	Lalit Kishor Garg	PH154577	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायरएस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15739/2023 ललित किशोर गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में उनके अनुभव को आवेदन की अंतिम तिथि तक जोड़ने एवं 26 माह को 01 माह माने जाने के संबंध में निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 29.05.2023 को दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक कुल 289 दिवस के कार्यानुभव का फार्मासिस्ट संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो एक वर्ष से कम की अवधि का है। साथ ही उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अवधि भी कोविड–19 की अवधि (22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022) की नहीं है। वस्तुतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही नहीं है। याचिकाकर्ता को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यअवधि हेतु दिवसों की गणना संबंधित माह के अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर की गई है। जिसके अनुसार 289 दिवस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा फार्मासिस्ट पद पर कार्य ही दिनांक 20.07.2022 से किया गया है एवं विज्ञप्ति की शर्तानुसार अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की दिनांक से एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 04.05.2023 तक की जानी है, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता की दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक की अनुभव अवधि 01 वर्ष से कम ही होती है। याचिकाकर्ता का अनुभव एक वर्ष से कम अवधि का होने एवं निर्धारित कोविड अवधि का भी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में उनके जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान बना पाने में असफल रहे हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 29.05.2023 को दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक कुल 289 दिवस के कार्यानुभव का फार्मासिस्ट संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो एक वर्ष से कम की अवधि का है। साथ ही उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अवधि भी कोविड–19 की अवधि (22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022) की नहीं है। वस्तुतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही नहीं है। याचिकाकर्ता को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यअवधि हेतु दिवसों की गणना संबंधित माह के अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर की गई है। जिसके अनुसार 289 दिवस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा फार्मासिस्ट पद पर कार्य ही दिनांक 20.07.2022 से किया गया है एवं विज्ञप्ति की शर्तानुसार अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की दिनांक से एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 04.05.2023 तक की जानी है, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता की दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक की अनुभव अवधि 01 वर्ष से कम ही होती है। याचिकाकर्ता का अनुभव एक वर्ष से कम अवधि का होने एवं निर्धारित कोविड अवधि का भी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में उनके जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान बना पाने में असफल रहा है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता श्री ललित किशोर गर्ग का प्रकरण तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

10	1176	Deepak Singhal S/o Shyam Sundar	PH102634	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12707/2023 दीपक सिंघल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसे रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार से कवर करते हुए पारित किया है के कम में अध्यक्ष, रायसिंहनगर फार्मासिस्ट सेवा संस्कार सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा जारी अनुभव को मानते हुए 30 बोनस अंक प्रदान कर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या को शून्य अंकित किया गया था जिसके फलस्वरूप वे फार्मासिस्ट भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की गई सूची में स्थान बनाने में असफल रहे। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा 15.05.2023 को ऑनलाईन आवेदन फार्म भरा गया किन्तु अनुभव अपलोड करने के संबंध में याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी विशेष का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण अभ्यर्थी ने अनारक्षित वर्ग में बिना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये ही आवेदन कर दिया। जिसे मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि संस्थान द्वारा सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु "Cooperative Department" एक ही विकल्प रखा गया था। जिस पर सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने का प्रावधान उपलब्ध था एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा सहकारिता विभाग में किए गए कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाये गये है, द्वारा उक्त विकल्प पर ही अनुभव प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में प्रस्तुत तथ्य मिथ्या है कि उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम विकल्प में उपलब्ध नहीं था जबकि वास्तविकता में सहकारिता विभाग द्वारा सबंधित जिले के जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, क्रय–विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबन्धक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कॉनफेड के लिए प्रबन्धक मेडिकल को जारीकर्ता अधिकारी एवं महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघं (कॉनफेड) को सत्यापनकर्ता अधिकारी अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित अनुभव प्रमाण पत्र उक्त जारीकर्ता अधिकारियों के स्तर से जारी नहीं किया गया है एवं सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे अपलोड नहीं किया गया एवं अब माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए गये है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में उनके जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या को शून्य अंकित किया गया था जिसके फलस्वरूप वे फार्मासिस्ट भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की गई सूची में स्थान बनाने में असफल रहे। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा 15.05.2023 को ऑनलाईन आवेदन फार्म भरा गया किन्तु अनुभव अपलोड करने के संबंध में याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी विशेष का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण अभ्यर्थी ने अनारक्षित वर्ग में बिना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये ही आवेदन कर दिया। जिसे मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि संस्थान द्वारा सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु "Cooperative Department" एक ही विकल्प रखा गया था। जिस पर सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने का प्रावधान उपलब्ध था एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा सहकारिता विभाग में किए गए कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाये गये है, द्वारा उक्त विकल्प पर ही अनुभव प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम विकल्प में उपलब्ध नहीं था जबकि वास्तविकता में सहकारिता विभाग द्वारा सबंधित जिले के जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, क्रय–विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबन्धक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कॉनफेड के लिए प्रबन्धक मेडिकल को जारीकर्ता अधिकारी एवं महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघं (कॉनफेड) को सत्यापनकर्ता अधिकारी अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित अनुभव प्रमाण पत्र उक्त जारीकर्ता अधिकारियों के स्तर से जारी नहीं किया गया है एवं सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में उनके जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान बना पाने में असफल रहा है एवं निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के

					प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान बना पाने में असफल रहा है एवं निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में संलग्न किया गया स्क्रीन शॉट संदिग्ध प्रतीत होता है, जिस पर की जाने वाली कार्यवाही निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाणपत्र जारी नहीं होने पर रिट याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता का प्रकरण तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

11	1177	Dinesh Sharma S/o Bheru Lal Sharma and other 6	PH194858	अभ्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 896/2024 दिनेश शर्मा व 06 अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्वयं के कार्यानुभव के आधार पर 20 के स्थान पर 25 बोनस अंक, कोविड अवधि के 15 अंक पृथक से जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 10 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अभ्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। रिट याचिका संख्या 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम सरकार में विभाग द्वारा इस संबंध में एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा 02 अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के 314 एवं 396 दिवस के संलग्न किये गये है। इस प्रकार कुल अनुभव अवधि 01 वर्ष से अधिक किन्तु 02 वर्ष से कम है। इस प्रकार अभ्यर्थी को कोविड अवधि के कार्यानुभव को मिलाकर अधिकतम 15 बोनस अंको का लाभ देय है। अभ्यर्थी को कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 15 बोनस अंकों का लाभ प्राप्त है। उक्त रिट याचिका संख्या में सम्मिलित अन्य याचिकाकर्ता श्री गिरीराज कुमार सुहालका पुत्र श्री गोपाल लाल का प्रकरण नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में तद्नुसार निस्तारित किया जा चुका हैं।	अभ्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। अभ्यर्थी द्वारा 02 अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के 314 एवं 396 दिवस के संलग्न किये गये है। इस प्रकार कुल अनुभव अवधि 01 वर्ष से अधिक किन्तु 02 वर्ष से कम है। इस प्रकार अभ्यर्थी को कोविड अवधि के कार्यानुभव को मिलाकर अधिकतम 15 बोनस अंको का ही लाभ देय है। अतः श्री दिनेश शर्मा का प्रकरण तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

12	1178			फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में।	फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में वस्तुतस्थिति यह है कि नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.5.2024 में पारित निर्णय के कम में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य/लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। चूंकि शपथ पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का मिलान/पुष्टि अनुभव अवधि के दौरान किसी निजी संस्थान/मेडिकल स्टोर आदि पर कार्य किये जाने अथवा लाईसेंस निजी/सरकारी संस्थानों के संचालन हेतु उपयोग में लिये जाने के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। अतः संस्थान स्तर पर संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वाछित सूचना हेतु आयुक्त, औषधि नियंत्रण मुख्यालय से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व दोहरी अवधि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों की राय में शपथ पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही यथा अनुभव अवधि में कटौति अथवा पात्रता निरस्त करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का निर्णय नीति निर्धारण समिति की आगमी बैठक में करवाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। अतः प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम औषधि नियंत्रक के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का आंकलन किया जाये एवं तत्पश्चात विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।
13	1179			दिनांक 30.05.2024 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में फार्मासिस्ट कैडर के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका चयन अंतरिम चयन सूची में किया जा चुका है किन्तु ऑनलाईन शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, के समबन्ध में।	दिनांक 30.05.2024 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में फार्मासिस्ट कैडर के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका चयन अंतरिम चयन सूची में किया जा चुका है, से ऑनलाईन शपथ–पत्र व रजिस्टर्ड डाक की हार्ड कॉपी प्राप्त कर ली गयी है किन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन में अनुभव का उल्लेख अंकित करने वाले एवं अनुभव का उल्लेख अंकित नहीं करने वाले, दोनो श्रेणी के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लिया जाना है कि इन्हे पुनः एक अवसर प्रदान किया जावे अथवा ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाये अथवा कोई अन्य निर्णय लिया जाये। फार्मासिस्ट भर्ती हेतु नॉन टीएसपी के 2743 एवं टीएसपी के 324 (कुल 3067) पदों के विरूद्ध कमशः 2621 व 197 पदों हेतु जारी	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 03.03.2025 तक एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया जाये कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया में आगे सम्मिलित होने से रोकने पर विचार किया जा सकता है।

					अंतरिम चयन सूची के विरूद्ध 2439 व 188 अभ्यर्थियों के शपथ पत्र प्राप्त हुऐ हैं। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे अनुभव का लाभ प्राप्त है कमशः 34 व 3 है।	
14	1180			आरएमएससीएल, मुख्यालय पर कार्यरत फार्मासिस्ट जो कंसलटेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, को अनुभव का लाभ प्रदान करने के संबंध में।	वर्तमान भर्ती नियमों के तहत की जा रही भर्तियों म अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने प्रावधान है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2023 को दिशा–निर्देश जारी किये गये जिसमें अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों में प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल को भी सम्मिलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान भर्ती नियमों में समान कार्य के आधार पर ही बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। मिशन निदेशक, आरएमएससीएल के पत्र दिनांक 30.1.2025 के द्वारा ऐसे ही एक अभ्यर्थी श्री संजय कुमार शर्मा, कंसलटेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार अनुभव अंकों का लाभ दिये जाने व पदनाम कंसल्टेंट को फार्मासिस्ट के समकक्ष मानने की कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा अनुशंषा की गयी है, जिसे विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशक शीफू को प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि भर्ती नियम 1965 के नियम 19 में समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का उल्लेख है। विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कंसल्टेट का कार्य किस प्रकार फार्मासिस्ट के कार्य के समान है। अतः नीति निर्धारण समिति के स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि आर.एम.एस.सी.एल. मुख्यालय पर कार्यरत फार्मासिस्ट का कार्य डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयरहाउस पर कार्यरत फार्मासिस्ट, जिन्हे बोनस अंकों का लाभ दिया गया है, के समान है, अतः आर.एम.एस.सी.एल. स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन इन्हें भी अनुभव का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

15	1181			सीजीपीए आधारित अंकतालिकाओं के सम्बन्ध में।	फार्मासिस्ट भर्ती के कतिपय लगभग 75 अभ्यर्थियों ने व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री की सीजीपीए आधारित अंकतालिकाऐं संलग्न की थी एवं आवेदन पत्र में इन अंकतालिकाओं के संभावित प्राप्तांक व पूर्णांक भरे थे। ऐसे अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये अंकों के आधार पर प्रतिशत अंकों की गणना कर जारी किया गया था जिसमें अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सीजीपीए आधारित अंकतालिकाओं के संबंधित संस्थानों से सत्यापन के दृष्टिगत रोक लिया गया था। संबंधित संस्थानों से प्राप्त सूचना अनुसार कुछ संस्थानों द्वारा प्रतिशत प्राप्तांकों की गणना सीजीपीए आधारित अंकों एवं वास्तविक प्राप्तांक दोनों के आधार पर की गयी है जबकि कुछ संस्थानों द्वारा केवल सीजीपीए आधारित अंको अथवा केवल वास्तविक प्राप्तांको के आधार पर गणना की गयी है। ऐसी स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत पूर्व में उनके द्वारा भरे गये प्राप्तांक प्रतिशत की तुलना में कम अथवा ज्यादा हो रहे हैं। क्योकि अन्य समस्त आवेदकों की प्रतिशत प्राप्तांको की गणना उनकी अंकतालिकाओं मे दर्शाये गये वास्तवित अंको के आधार पर की गयी है। अतः सीजीपीए आधारित अंकतालिकाओं के प्रकरण में भी अभ्यर्थी को वास्तविक प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रतिशत प्राप्तांक की गणना किया जाना उचित होगा। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समानता बनाये रखने के उद्देश्य से सीजीपीए के गुणांक के स्थान पर वास्तविक अंकों/प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रतिशत अंकों की गणना किया जाना उचित रहेगा।
16	1182			साइकिऐट्रिक नर्स के कार्य का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनर्विचार हेतु।	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में अराजपत्रित संवर्ग की भर्तियों में विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने पर अनुभव आधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 में साइकिएट्रिक नर्स के पद पर कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को बोनस अंक दिए जाने के संबंध में प्रकरण पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 में रखा गया था जिसमें साइकिएट्रिक नर्स के कार्य का अनुभव विशिष्ट प्रशिक्षणोपरान्त ही सम्पादित किये जाने एवं विशिष्ट प्रकार का होने के कारण इसे नर्सिंग ऑफिसर पद के कार्य के समरूप नहीं मानते हुए समिति द्वारा इन्हें बोनस अंकों का लाभ दिए जाने हेतु पात्र नहीं माने जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी पालना में रिट याचिका सं. 14080/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में प्राप्त अभ्यावेदनों का	आगामी बैठक में रखा जाये (डैफर)।

					निस्तारण कर शीफू की वैबसाइट पर प्रकाशन किया जा चुका है। निर्देशानुसार प्रकरण पुनर्विचार हेतु नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
17	1183			रू. 25000 के मानदेय पर नियुक्त कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनर्विचार हेतु।	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में अराजपत्रित संवर्ग की भर्तियों में विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने पर अनुभव आधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर कार्य करने वाले आवेदकों को अन्तिम चयन सूची जारी किए जाने तक समरूप कार्य नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य, प्रकरण में श्रीमान महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय एवं इस संबंध में गठित वृहत समिति द्वारा दी गई राय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.7.2024 के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सीएचओ जिनकी नियुक्ति कोविड काल के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड नियंत्रण हेतु सौपी गई एवं बाद में सीएचओ के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग आफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.5.2021 के माध्यम से चयनित सीएचओ कार्मिकों एवं दिनांक 22.3.2020 से 13.2.2022 के दौरान नियुक्त	आगामी बैठक में रखा जाये (डैफर)।
					ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कार्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग आफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवाएं सौपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। उक्त का सक्षम स्तर से अनुमोदन भी कराया जा चुका है। उक्त निर्णय के दायरे में आने वाले आवेदकों को बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए दिनांक 6.12.2024 को अन्तिम चयन सूची जारी की गई एवं रिट याचिका सं. 14080/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम	

					में प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण कर शीफू की वैबसाइट पर प्रकाशन किया जा चुका है। निर्देशानुसार ऐसे आवेदक जो नियुक्ति समय से ही ब्रिजकोर्स धारक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थे/जिन्हें सीएचओ हेतु नियत रूपये 25000 प्रतिमाह का भुगतान किया गया था, को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दिए जाने पर पुनर्विचार हेतु नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

श्री योगेश शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि विभाग
राजस्थान सरकार

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग
राजस्थान सरकार

श्री दिनेश शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक क–2 विभाग
राजस्थान सरकार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एनएचएम
मुख्यालय

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

श्री अजय फाटक,
औषधि नियंत्रक प्रथम,
मुख्यालय

रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल
जयपुर